न्यायालय भू–अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग.

: : ज्ञापन : :

क्रमांक 623 /वाचक–1/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 4/02/2022

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड, राजनांदगॉव, (छ.ग.)

विषय :– भू–अर्जन प्रकरण कमांक–09/अ–82/2021–22 ग्राम **बरगंवा** का राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में।

–00–

कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा बरनई (मध्यम) परियोजना के मुख्य नहर हेतु ग्राम **बरगंवा** तहसील दरिमा जिला सरगुजा के **रकबा 3.809** हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना प्रारुप की तीन–तीन प्रतियॉ संलग्न प्रेषित है। राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर राजपत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप साहू)
भू–अर्जन अधिकारी
अम्बिकापुर

पृ. क्रमांक 624 /वाचक–1/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 4/02/2022

प्रतिलिपि :–

1. संचालक जनसंपर्क, प्रकाशन संचनालय महिला थाने के पास रायपुर को सूचनार्थ। प्रारंभिक अधिसूचना प्रारुप की पांच–पांच प्रतियॉ संलग्न प्रेषित है। दो स्थानीय समाचार–पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर समाचार–पत्र की एक–एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा को प्रारंभिक अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रारंभिक अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय का अवगत करावें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रारंभिक अधिसूचना को राजस्व विभाग की बेबसाईट cg.nic.in/revenue मे अपलोड करावे, और तदाशय का प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को 07 दिवस के अन्दर उपलब्ध करावें।
4. तहसीलदार, दरिमा को अधिसूचना प्रकाशन की तीन प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित ग्राम में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन करावें, साथ ही एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप साहू)
भू–अर्जन अधिकारी
अम्बिकापुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

अम्बिकापुर दिनांक 03/02/2022

क्रमांक 09 /अ–82/2021–22 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एदद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

– अनुसूची –

अर्जित भूमि का विवरण										धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.नं.	खसरा नं./क्षेत्रफल हेक्टेयर में								
1	2	3	4				5				6	7
सरगुजा	दरिमा	बरगंवा/50	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)	बरनई (मध्यम) परियोजना के मुख्य नहर हेतु।
			190/1	0.445	189/1	0.032	113/1	0.040	115/1	0.024		
			118/1	0.009	674/2	0.037	675/1	0.013	971/1	0.095		
			1501/27/1	0.373	979/1	0.133	990/1	0.041	993/3	0.016		
			992/1	0.105	989/1	0.036	996	0.032	1090	0.016		
			1089/1	0.048	1088	0.008	1085/2	0.037	1198/1	0.394		
			1526/1	0.004	1527/1	0.012	1532/1	0.008	1534/1	0.146		
			1506/25	0.475	1506/26	0.320	1506/30	0.412	1506/15	0.315		
			1481/1	0.020	1481/2	0.097	1486/1	0.010	1086/4	0.031		
			972/1	0.025								
			कुल खसरा–33 कुल रकबा 3.809 हे0									

02. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्व व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघत निर्धारण के निष्कर्षो के बारे मे अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृति व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

03. भूमि का नक्शा(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के कार्यालय मे किया जा सकता है।

04. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित का विस्थापन निहित नही है।

05. प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रुप में किया जाना प्रस्तावित है, तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

06. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

(प्रदीप साहू)
भू–अर्जन अधिकारी
अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर,
सरगुजा
एंव पदेन उप सचिव, छ0ग0शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग